

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- ३०१८/१जी-FP/UK/Others/13110/2015 देहरादून: दिनांक: ०७ अप्रैल, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-टिहरी गढ़वाल में घनसाली पुलिस चौकी के निर्माण हेतु 0.2 है 0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन
FP/UK/Others/13110/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है, जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 1.00 है 0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है 0 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस०टी०एस० लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / १जी-FP/UK/Others/13110/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी
- वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती।
- जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
- पुलिस अधीक्षक, जनपद-टिहरी गढ़वाल।

(एस०टी०एस० लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)
परियोजना का नाम:

जनपद-टिहरी गढ़वाल में घनसाली पुलिस चौकी के निर्माण हेतु 0.2 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन
FP/UK/Others/13110/2015

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु टिहरी वन प्रभाग में 0.2 है० आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त योजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरती द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 1.00 है० से कम क्षेत्रफल तथा प्रति 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस० लेखा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

गवर्नर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वा। संरक्षण, भूमि सर्वेश्वर लिंदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 7/04/2016

स्थान : देहरादून